खंड २ संख्या २१

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर ।)

मंगलवार, तिथि १ जुलाई, १९६९ ।

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय में मुद्रित
१९७०

[मूल्य—३७ पैसे ।]

श्री कृष्णकांत सिंह—सरकार दो महीने के अन्दर करने की कोशिश करेगी।

श्री रामानन्द यादव—मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या सरकार यह बतायेगी कि १९६१ के पहले के जिन विद्यालयों के हरिजनों की छात्रवृत्ति के बिल पड़े हुए हैं, जिनका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है क्या सरकार उन विद्यालयों को जल्द-से-जल्द पेमेंट करायेगी ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामानन्द यादव—खंड (१) से उठता है। इसमें है कि 'क्या यह बात सही है कि सरकार की यह नीति है कि जो विद्यालय सन् १९६१ तक स्वीकृत हैं केवल उन्हें ही हरिजन की शिक्षा के प्रति पढ़ाई शुल्क के मद में क्षतिपूर्ति देने का उपबन्ध है'।

अध्यक्ष—१९६१ के पहले का प्रश्न नहीं उठता है।

छात्रवृत्ति—अनुदान।

११४। श्री बैद्यनाथ मेहता—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री कृष्ण मेहता, निर्मली महाविद्यालय, निर्मली के स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि उन्होंने प्राक-कला परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की थी जिसमें उन्हें ५६ प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त छात्र को प्राक-कला में छात्रवृत्ति मिली थी परन्तु इस वर्ष यह छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है;

(४) क्या यह बात सही है कि अन्य छात्रों को जिन्हें प्राक-कला परीक्षा में ५६ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए थे उन्हें छात्रवृत्ति दी गयी और इन्हें नहीं दी गयी; यदि "हां" तो क्यों ?

श्री कृष्णकांत सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उन्होंने प्राक-कला परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास किया है-जिसमें उन्हें ५४ प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ था।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) वस्तुस्थिति यह है कि श्री कृष्ण मेहता के अभिभावक की वार्षिक आय ५०१—१,००० रुपये के बीच है इसलिए उन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकी। १९६८-६९ सत्र में निम्न आयवर्ग छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को निम्नलिखित कसौटी पर छात्रवृत्ति दी गयी है :—

(क) सामान्य कॉलेजों के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ५०० रु० तक हो,

(ख) टेकनिकल कॉलेजों के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय १,००० रु० तक हो,

(ग) छात्राओं को जिनके माता पिता / अभिभावक की वार्षिक आय १,५०० रु० तक हो।

श्री बंधनाथ प्रसाद मेहता—प्रि-यूनिवर्सिटी में अनुदान मिला, बी० ए० पार्ट वन में क्यों नहीं मिला ?

श्री कृष्णकांत सिंह—आवेदक ने जो आवेदन-पत्र दिया है उसमें वार्षिक आय अधिक बी है। उन्होंने लिखा है कि उनके पिता की आमदनी ८४ रुपये महीने की है जो जोड़ने से सालाना ५०० रुपये से अधिक हो जाता है।

श्री बंधनाथ प्रसाद मेहता—क्या यह बात सही है कि गार्जियन की क्या आमदनी है इस सम्बन्ध में बी० डी० ओ० एक सर्टिफिकेट देता है ?

श्री कृष्णकांत सिंह—जब आवेदनकर्त्ता ही लिख रहा है तो बी० डी० ओ० के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष—८४ रुपया महीना के हिसाब से ५०० रुपया से अधिक सालाना हो जाता है।

श्री बंधनाथ प्रसाद मेहता—मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी को पता भी नहीं है कि उसके गार्जियन की क्या आमदनी है। बी० डी० ओ० सर्टिफिकेट देता है कि गार्जियन की क्या आमदनी है उसी पर यह निर्भर करता है।

अध्यक्ष—यह आवेदक ही बताता है कि क्या आमदनी है उसके गार्जियन की। उसे इसका पूरा ज्ञान है।

श्री बंधनाथ प्रसाद मेहता—विद्यार्थी को आय का पता नहीं है इसलिए क्या सरकार बी० डी० ओ० से आय के सम्बन्ध में जांच करायेगी और जानकारी प्राप्त कर पुनः विचार करेगी ?

श्री कृष्णकांत सिंह—आवेदक जांच मांगता ही नहीं और सरकार जांच कराये ?

श्री शकूर अहमद—क्या कायदा यह है कि जिसको प्रि-यूनिवर्सिटी में मिलता है उसे बी० ए० पार्ट वन में भी दिया जाय अगर वह पास कर जाय ?

श्री कृष्णकांत सिंह—यह सही है कि उसका रिग्युअल हो जाता है लेकिन गलती पकड़ी जाती है तो उसे ठीक किया जाता है ।

श्री शकूर अहमद—इसमें क्या गलती पकड़ी गयी ? प्रि-यूनिवर्सिटी में कितनी आय दिखायी गई थी ?

श्री कृष्णकांत सिंह—बी० ए० पार्ट वन में जाने पर रिग्युअल के लिए आवेदन-पत्र देना पड़ता है उसमें उन्होंने आय ज्यादा दिखा दी ।

श्री शकूर अहमद—पास हो जाने पर भी उसे अप्लीकेशन देना पड़ेगा ?

श्री कृष्णकांत सिंह—जी हां, देना पड़ेगा ।

श्री शकूर अहमद—एप्लीकेशन दिया जाता है और रिग्युअल होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रि-यूनिवर्सिटी में उन्होंने कितनी आमदनी दिखायी थी ?

श्री कृष्णकांत सिंह—वह एप्लीकेशन अभी नहीं है । उस समय क्या आय थी इसकी सूचना अभी हमारे पास नहीं है ।

श्री शकूर अहमद—इनके पास यह सूचना नहीं है । यदि पहले भी यही आमदनी हो तो उनको इस साल भी मिलना चाहिये था । अगर पहले इतना ही दिखाया हो और मिल गया तो इस साल भी मिलना चाहिए न ?

श्री कृष्णकांत सिंह—मिलना चाहिए या सजा मिलनी चाहिए ?

श्री शकूर अहमद—सजा उसको मिलनी चाहिए या अफसर को मिलनी चाहिए ?

श्री कृष्णकांत सिंह—सजा दोनों को मिलनी चाहिये ।

श्री रामानन्द यादव—क्या सरकार बतायेगी कि जो छात्रवृत्ति इस वर्ष बी० ए० पार्ट १ के छात्रों को दी गयी है वह भारत सरकार का पैसा था या नहीं ?

श्री कृष्णकांत सिंह—यह तो देखना होगा । कौन पैसा बिहार सरकार का है कौन भारत सरकार का है यह देखना होगा ।

श्री रामानन्द यादव—क्या सरकार बतायेगी कि बिहार सरकार से जो पैसा विद्यार्थियों को दिया जाता है उसके वितरण में आमदनी की कोई सीमा तय है ?

श्री कृष्णकांत सिंह—है।

श्री शीतल प्रसाद गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि प्री के जिन विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति दी गयी उनको पार्ट १ में डिसकन्टीन्यू कर दिया गया ? जिस प्रकार आठवीं से हायर सेकेंड्री तक एक ही छात्र को प्रोमोशन मिलने पर छात्रवृत्ति लगातार दी जाती है उसी प्रकार प्री पास करनेवाले छात्र को बी० ए० या एम० ए० तक जहां तक वह पढ़े लगातार सरकार छात्रवृत्ति क्यों नहीं देती है ? इसको तोड़ क्यों दिया जाता है ?

श्री कृष्णकांत सिंह—कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई नौकरी में चले जाते हैं जब तक विद्यार्थी आवेदन नहीं देते हैं तब तक कैसे दिया जायगा।

श्री शीतल प्रसाद गुप्त—सरकार तीन तरह की छात्रवृत्ति देती है। एक मिडल से नीचे तक, दूसरी आठवीं से सेकेंड्री या हायर सेकेंड्री तक, तीसरा कॉलेज में। सरकार जिस प्रकार एक विद्यार्थी को आठवीं से हायर सेकेंड्री तक लगातार पास करने पर छात्र-वृत्ति देती है उसी प्रकार प्री पास करने वाले को बिना नया दर्खास्त के आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति क्यों नहीं देती है, क्यों फ्रेस एप्लिकेशन मांगती है ?

श्री कृष्णकांत सिंह—माननीय सदस्य को ज्ञान होना चाहिए कि प्री पास करने के बाद विद्यार्थी प्री मेडिकल में जाता है, प्री इन्जीनियरिंग में जाता है, जेनरल में जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है या नौकरी में चला जाता है तो किस प्रकार छात्रवृत्ति मिल सकती है और अलग-अलग कोर्स के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति मिलती है।

प्रश्न के सम्बन्ध में जिज्ञासा।

श्री रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं प्रश्न के सम्बन्ध में एक बात पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य, बैठ जायं। मैं इजाजत नहीं देता हूं।